न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 829–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–3–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन प्रकरण कमांक 85/अपील/11–12.

1– श्रीमती रामबाई विधवा स्व. श्री शंकर सिंह
2– कृष्णकुमार पुत्र स्व. श्री शंकर सिंह
3– दीपा पुत्री स्व. श्री शंकर सिंह
निवासीगण ग्राम छींद
तहसील बरेली जिला रायसेन
4– सुधा पुत्री स्व. श्री शंकर सिंह
5– सरोज पुत्री स्व. श्री शंकर सिंह
6– चम्पा बाई विधवा स्व. श्री देवी सिंह
निवासीगण ग्राम बाड़ी
तहसील बाड़ी जिला रायसेन
7– प्रेमलता पुत्री स्व. श्री देवी सिंह
निवासी ग्राम छींद
तहसील बरेली जिला रायसेन
8– चन्द्रलता पुत्री स्व. श्री देवीसिंह
निवासी ग्राम उदयपुरा
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन

विरूद्ध .....आवेदकगण

1– सुमेरसिंह पुत्र धन्नूलाल
निवासी ग्राम छींद
तहसील बरेली जिला रायसेन .....मूल अनावेदक
2– राधाशरण पुत्र स्व. श्री शंकर सिंह
3– भगवतसिंह पुत्र स्व. श्री शंकर सिंह
निवासीगण ग्राम छींद
तहसील बरेली जिला रायसेन
4– प्रमेन्द्र पुत्र स्व. श्री देवी सिंह
निवासी ग्राम बाड़ी
तहसील बाड़ी जिला रायसेन
5– हेमलता पुत्री स्व. श्री देवी सिंह
निवासी ग्राम उदयपुरा
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री जे.एस. गौड़, अभिभाषक, एवं
श्री अनिल श्रीवास्तव, अभिषक, आवेदकगण
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा शंकर सिंह की मृत्यु होने के कारण तहसीलदार, बरेली जिला रायसेन के समक्ष वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–6/09–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 29–4–10 को आदेश पारित कर 0.700 हेक्टेयर एवं 0.344 हेक्टेयर पर स्व. शंकर सिंह के स्थान पर अनावेदकगण का वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 सुमेरसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 3–4–12 को डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब की माफी के लिए आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–11–12 को आदेश पारित कर अपील ग्राह्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10–9–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 2133/2014 प्रस्तुत किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24–11–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं इस न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर सुनवाई कर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–3–15 को आदेश पारित कर अवधि

विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) पूर्व से चली आ रही प्रथा के अनुसार ट्रस्टी शंकर सिंह की मृत्यु होने पर आवेदकगण तथा अनावेदक कमांक 1 सुमेरसिंह सहित अन्य अनावेदकगण ने निजी ट्रस्ट के प्रस्ताव रजिस्टर में प्रस्ताव पारित कर हल्का पटवारी से फोती नामांतरण हेतु कहा था, जिस पर हल्का पटवारी ने फोती नामांतरण हेतु अपना प्रतिवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था । जिस पर नायब तहसीलदार, बरेली द्वारा विधिवत राजस्व प्रकरण कमांक 12/अ–6/09–10 पंजीबद्ध कर दिनांक 29–4–10 को आदेश पारित किया गया था । अनावेदक सुमेरसिंह को शुरू से ही इस नामांतरण की जानकारी रही है और अनावेदक कमांक 1 सुमेरसिंह ने ही अन्य ट्रस्टीयों के साथ मिलकर फोती नामांतरण हेतु प्रस्ताव पारित किया था । प्रस्ताव रजिस्टर सुमेरसिंह के पास है, जिसे उसने छिपा रखा है ।

(2) अनावेदक सुमेरसिंह ने बिना किसी वैध दस्तावेज के मंदिर की भूमि पुराना खसरा नम्बर 188 नया 156 रकबा 0.80 एकड़ में से 0.55 एकड़ भूमि नामांतरण पंजी कमांक 27 पर पारित आदेश दिनांक 11–11–1985 द्वारा अपने दामांद हरीनारायण के नाम करा दी है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 24–11–2014 में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीग्रस्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) विधि के प्रावधानों में विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अतिआवश्यक है, विलम्ब के स्पष्टीकरण के अभाव में अनावेदक सुमेरसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई अपील समयावधि के बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदक सुमेर सिंह द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र में विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अपीलग्रस्त नामांतरण आदेश दिनांक 29–4–10 अनावेदक सुमेरसिंह द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया है, इसलिए सुमेरसिंह को शुरू से ही नामांतरण आदेश की जानकारी थी।

आवेदकगण ने मंदिर की सम्पत्ति को बेईमानी से हड़पने का कारण सुमेर सिंह से जानना चाहा और अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिससे चिढ़कर सुमेरसिंह ने 2 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–11–2014 तथा उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अनावेदक सुमेरसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र तथा अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 254, 2015 आर.एन. 4, 2015 आर.एन. 10 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उसे सूचना व सुनवाई का अवसर दिया गया है, जबकि वह अनिवार्य पक्षकार है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब का कारण सद्भाविक मानते हुए विलंब माफ करने में उचित कार्यवाही की गई है और अभी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 31–3–1983 के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को निजी ट्रस्ट की भूमि मान्य किया गया है । अभिलेख से स्पष्ट है कि निजी ट्रस्ट के ट्रस्टी मृतक ट्रस्टी के वारिसान ही बनते रहे हैं अनावेदक सुमेरसिंह भी उत्तराधिकारी के आधार पर ही ट्रस्ट के ट्रस्टी बने हैं । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट है कि शंकर सिंह की मृत्यु दिनांक 3–8–2009 को हुई है, ऐसी स्थिति में अनावेदक सुमेरसिंह के ट्रस्टी होने के कारण उनका यह कर्तव्य था कि वे राजस्व अभिलेख में शंकर सिंह के स्थान पर वारिसानों की प्रविष्टि कराते । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अनावेदक द्वारा अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में समय–सीमा की गणना दिनांक

3–8–2009 से होगी और दिनांक 3–8–2009 से अपील प्रस्तुत करने तक प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना आवश्यक था, परन्तु अनावेदक सुमेरसिंह द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 25–9–2009 को ट्रस्ट के लॉकर संचालन हेतु आवेदकगण का शंकरसिंह के उत्तराधिकारियों के नाते बैंक को नाम जोड़ने हेतु लिखा गया है । स्पष्ट है दिनांक 25–9–2009 को ही अनावेदक समुेरसिंह को शंकर सिंह की मृत्यु की जानकारी हो गई थी । अतः यदि समयावधि की गणना 3–8–2009 से न की जावे तो भी 25–9–2009 से तो की ही जायेगी तथा इस दिनांक से छः माह के अन्दर अनावेदक का कर्तव्य था कि वह तहसीलदार को ट्रस्टीज में परिवर्तन की सूचना देकर भू–अभिलेख अद्यतन कराते । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 सुमेरसिंह के नाम की प्रविष्टि को राजस्व अभिलेखों में यथावत रखा गया है, अतः अनावेदक सुमेरसिंह का तहसील न्यायालय के आदेश से प्रभावित होना परिलक्षित नहीं होता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–15 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर